फर्द अहकाम

सीताराम वगै० बनाम गणेश वगै०

नाम न्यायालय –

केस संख्या..................................

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		अतः पर वादी-प्रतिवादी को अप अपनी सीमा में रहने हेतु पाबंद कर दिया जावे। वादी प्रतिवादी के राजीनामा अनुसार वादी वाद डिक्री किया जाता है कि तह० फागी वादी की खातेदारी अराजी को पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर सीमा से अवगत करावेगी तत्पश्चात पक्षकारान उपरोक्तानुसार अपनी अपनी सीमा में रहने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद रहेंगे, उक्त आदेश आज सशर्त(?), [illegible] लोक अदालत - पीपल्दा में सुनाया गया। पालना सुनिश्चित हो। सदस्य:, अध्यक्ष लोक अदालत

फर्द अहकाम

सीताराम व अन्य बनाम गणेश व अन्य

निर्णय दिनांकः– 01.06.2018

नाम न्यायालय –उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्याः– 91/2017

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	01.06.2018	निर्णय	

निर्णय

यह वाद पत्र आज कैम्प कोर्ट पीपला में पेश हुई। वादी वकील उपस्थित आये। प्रतिवादीगण स्वंय उप0 आये तथा राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक पूर्वक अवलोकन किया गया। तथा वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो में बताया की विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1879/1 रकबा 08 बीघा भूमि वाके ग्राम पीपला तहसील फागी मे स्थित है। वादी अपने हिस्से की आराजी में शान्तिपूर्वक काबिज हैं तथा प्रतिवादीगण आये दिन वादी वादी को सीमा कौर को लेकर व नाजायज परेशान करने के लिये आये दिन लडाई झगडा करते रहते है प्रतिवादीगण दिगर व्यक्तियों के साथ मौके पर आया और वादी को ऐलानिया धमकी दी की वह उसकी कब्जे शुदा आराजी से बेदखल करेगे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने तथा बहस पर मनन करने पर हम वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1879/1 रकबा 08 बीघा भूमि वाके ग्राम पीपला तहसील फागी मे स्थित आराजी का तहसीलदार फागी द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाकर पक्षकारान को अवगत करावेगे तत्पश्चात वादी व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सीमाज्ञान पश्चात अपनी – अपनी सीमाओं मे कायम रहकर काश्त करेगे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2018 को कैम्प कोर्ट पीपला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

सावन कुमार चोयल
(सहायक कलेक्टर)
(फागी जिला जयपुर)

Scanned by CamScanner